



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

No. 454]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2011

New Delhi, the 14th March, 2011

का.आ. 567(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 789(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 789(E), dated the 20th March, 2009, namely :—

2. उक्त अधिसूचना की क्रम सं. (1) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

2. In the said notification, in Serial number (1), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

“(1) न्यायमूर्ति श्री एस. एन. धींगरा, —अध्यक्ष”
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),
दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली ।

“(1) Shri Justice S. N. Dhingra, —Chairperson”
Judge (Retd.),
High Court of Delhi,
New Delhi.

3. यह अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[फा. सं. 12/15/2007-आईजीसी/पीआई]

[F. No. 12/15/2007-IGC/PI]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.